भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *39
दिनांक 04 फरवरी, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

मधुमेह-रोधी तथा हृदय चिकित्सा औषधि

*39. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री गजानन कीर्तिकर:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक बाजार अनुसंधान के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में मधुमेह-रोधी तथा हृदय चिकित्सा औषधियों की बिक्री विगत तीन वर्षों के दौरान सबसे तेज दर से बढ़ी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस वृद्धि के क्या कारण हैं;
(ग) क्या विश्वभर के मधुमेह रोगियों की सर्वाधिक संख्या भारत में है, जबकि हृदय रोग देश में होने वाली मौतों का एक सबसे बड़ा कारण है;
(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में ऐसी दवाओं के उत्पादन के संबंध में तथा भेषज कंपनियों के द्वारा दवाओं के लिए अधिक कीमत वसूलने के संबंध में कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) उक्त दवाओं के मूल्य निर्धारण को विनियमित करने और उस पर नियंत्रण करने के लिये इन सभी दवाओं को राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के अंतर्गत लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

<u>उत्तर</u>
<u>रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)</u>

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

मधुमेह-रोधी और हृदय देखभाल दवाओं के संबंध में दिनांक 04/02/2020 को जवाब दिए जाने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 39 के जवाब में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): बाजार अनुसंधान संगठन अखिल भारतीय ओरिजिन केमिस्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड (एआईओसीडी) के अनुसार-एडवांस्ड वर्किंग, एक्शन एंड करेक्शन सिस्टम (एवाक्स), मधुमेह रोधी दवा की बिक्री में साल दर साल 12.6% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें विकास को बाधित करने वाले अवरोधक एसजीएलटी 2 (सोडियम-ग्लूकोज सह-ट्रांसपोर्टर 2) नामक दवा की एक नई श्रेणी है, जबकि हृदय की देखभाल करने वाली दवाओं में 11.7% बढ़ोतरी हुई है। हृदय देखभाल की दवाओं में, सैक्यूबिट्रिल और वेलसर्टन नामक संयोजित दवा में वृद्धि हुई।

वर्ष 2017, 2018 और 2019 के लिए वर्ष दर वर्ष आधार पर मधुमेह-रोधी दवाओं में क्रमशः 13.4%, 12.9% और 12.6% की वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, वर्ष 2017,2018 और 2019 के लिए वर्ष दर वर्ष आधार पर हृदय देखभाल दवाओं के लिए क्रमशः 5.5%, 10.7% और 11.7% की वृद्धि हुई थी।

(ग): जी, हां। दुनिया में सबसे अधिक मधुमेह रोगियों की संख्या भारत में है, जो कि अनुमानत: 70 मिलियन से अधिक है जबकि हृदय रोगों को देश में मृत्यु के सबसे बड़े कारणों में से एक जाना जाता है।

(घ): राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) दवा कंपनियों द्वारा लिए जाने वाले अधिप्रभार की जांच करने के लिए नियमित आधार पर अनुसूचित और गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों (मधुमेह-रोधी और कार्डियक केयर फॉर्मूलेशन सहित) के मूल्यों का अनुवीक्षण करता है। जब भी कंपनियों को दवा की बिक्री में उपभोक्ता से अधिप्रभार वसूलते हुए पाया जाता है, तो एनपीपीए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7क के अंतर्गत लागू ब्याज सहित अधिप्रभार राशि जमा करने के लिए कंपनियों को नोटिस जारी करता है।

एनपीपीए ने मधुमेह-रोधी और कार्डियक केयर फॉर्मूलेशनों, जिनका मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) के पैरा 19 के अंतर्गत निश्चित किया गया था, की बिक्री पर उपभोक्ताओं से अधिप्रभार लेने का पता लगाया है तथा दवा कंपनियों के खिलाफ लगभग 162 मांग नोटिस जारी किए हैं। कुल 808.16 करोड़ रुपये की राशि के लिए मांग नोटिस जारी किए गए हैं और पैरा 19 के अंतर्गत निर्धारित मूल्य के उल्लंघन के लिए फार्मा कंपनियों से 245.96 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। अधिकतम मूल्य और पैरा 19 के अंतर्गत निर्धारित मूल्य (मधुमेह-रोधी और कार्डियक केयर फॉर्मूलेशन) के उल्लघंन के लिए अतिप्रभारित मामलों की कंपनीवार विस्तृत सूची, जहां मांग नोटिस जारी किए गए हैं, एनपीपीए की वेबसाइट www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध है।

(ङ): एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-I में शामिल किए गए 860 फार्मूलेशनों का अधिकतम मूल्य निर्धारित किया है जिसमें मधुमेह और हृदय की समस्याओं के उपचार से संबंधित दवाएं भी शामिल हैं, जैसाकि नीचे विस्तार से दिया गया है:

क्रं.सं.	विवरण	एनएलईएम, 15 में दवाइयां	फार्मूलेशनों की संख्या (एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्य)
1	मधुमेह रोधी दवाइयां	6	12
2	कार्डियक दवाइयां	30	70

एनपीपीए ने दिनांक 10 जुलाई 2014 के अंतर्गत डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के तहत मधुमेह और हृदय रोगों के उपचार से संबंधित 106 फार्मूलेशनों के अधिकतम मूल्य भी निर्धारित किए हैं।

इसके अतिरिक्त, एनपीपीए ने दिनांक 13 फरवरी, 2017 के आदेश द्वारा कोरोनरी स्टेंट का मूल्य निर्धारित किया है। इसके द्वारा, कोरोनरी स्टेंट के मूल्य बेयर मेटल स्टेंट के लिए 85% और ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स के लिए 74% तक कम किए गए। जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं/रोगियों को सालाना 4547 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

इसके अलावा, एनपीपीए डीपीसीओ, 2013 के पैरा 20 के अनुसार गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों का भी अनुवीक्षण करता है ताकि पूर्ववर्ती 12 महीने के दौरान एमआरपी से उनकी एमआरपी में 10% से अधिक की वृद्धि ना हो।

****